

भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिर्यसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूरभाष: 0135-2750809,
ईमेल/Email moef.ddn@gmail.com



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE, Pearson Road,
FRI Campus, P.O. New Forest,
Dehradun – 248006
Phone: 0135-2750809

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/70/2014/एफ.सी./2488

दिनांक 26.02.2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: जनपद- अल्मोड़ा में अल्मोड़ा-घाट मोटर मार्ग के किमी0 50 से कलौटा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1863 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक-2397 /FP/UK/ROAD/9428/2015 दिनांक 15.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित जिला स्तरीय समिति की Proceeding के अवलोकन से विदित होता है कि बैठक दिनांक 17.11.2014 को आहूत की गई जबकि जिलाधिकारी द्वारा वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र पूर्व में ही दिनांक 29.09.2014 को जारी कर दिया गया था। चूंकि जिला स्तरीय समिति की बैठक के बाद ही settlement of rights की प्रक्रिया पूरी होती है, अतः FRA Certificate जिला स्तरीय समिति की बैठक की तिथि के बाद की ही तिथि में जारी किया जाना चाहिए। अतः संशोधित वनाधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

तदोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

भवदीय,

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।
2. आदेश पत्रावली।

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक